बैठक /महत्वपूर्ण

संख्या- 236/आठ-10-21-107ई/2011

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 10 लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर, 2021

विषय- **गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्क सुपरवाईजर व अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 171/आठ-10-21-107ई/2011, दिनांक 27.08.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्क सुपरवाईजर व अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित सूचना /आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री रणविजय सिंह, विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में उनके श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन भूतल स्थित कार्यालय कक्ष संख्या-31 में **दिनांक 23.11.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे** एक बैठक आहूत की गयी है।

अतएव कृपया प्रश्नगत प्रकरण से भिज्ञ किसी अधिकारी को वांछित सूचना/आख्या सहित प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख सहित उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर प्रतिभाग किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

छायाप्रति संलग्न

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

जारी प्रेषक/ सविद/ 27/8/21 जारी 31-8-21

संख्या- 171 /आठ-10-21-107ई/2011

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन |

सेवामें,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 10   लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2021

विषय- **गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्क सुपरवाईजर व अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में |**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 305/प्रशा०अनु०/2021, दिनांक 02.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्क सुपरवाईजर व अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है |

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित सूचना/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

(1) वर्क सुपरवाईजरों की कोई निश्चित अर्हता निर्धारित नहीं थी और न ही इस सम्बन्ध में कोई नियमावली और शासनादेश थे, ऐसे में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किन नियमों/शासनादेशों के आधार पर बिना शासन की अनुमति के 159 कर्मचारियों को पी० डब्ल्यू०डी० परिपाटी के अनुसार प्राधिकरण स्तर से विनियमित कर सेवा पुस्तिका बनाकर उन्हें वेतनमान, वेतन वृद्धि, ग्रेड-पे 1900 इत्यादि लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बिंदुवार आख्या अभिलेखीय साक्ष्य सहित |

(2) गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30.11.2012 में यह उल्लिखित है कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्क सुपरवाईजरों के 16 पद शासन से सृजित थे जिसके विरुद्ध वरिष्ठता अनुसार 32 वर्क सुपरवाईजर नियमित कार्यरत हैं | सेवानिवृत्ति एवं 28 अन्य कर्मचारी शासन से पद स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्त थे, जिनके पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन के पत्र संख्या- 1740/आठ-6-12-126ई/2008, दिनांक 31.07.2012 के क्रम में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 01.09.2012 में प्राप्त अनुमोदन के उपरांत 28 पदों की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र संख्या-216/प्रशा०अनु०/2012, दिनांक 05.09.2012 भेजा गया | उक्त पत्र दिनांक 05.09.2012 की प्रमाणित प्रति |

28/08/21

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)

उपसचिव |